श्री शान्ति भूषण : मुझे खुशी है कि आप ने यह बात भी पूछ ली। डिपार्टमेण्ट आफ लीगल अफेयर्स में क्लास 1 सर्विस में, जिसे ग्रुप ए कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स की संख्या 5 है . . .

श्री सूरज भान : आउट आफ ?

श्री शान्ति भूषण : अभी चूंकि पूरी जानकारी के लिए वक्त लगेगा इसलिए यह जानकारी भी बाद में दे दी जायगी। जैसा माननीय सदस्य समझते हैं कि 21 दिन का समय दे दिया गया है, अगर 21 दिन का समय मिल जाता तो पर्याप्त जानकारी इकट्ठी की जा सकती थी, लेकिन एक हफ्ते का समय था, इस लिए पूरी जानकारी नहीं मिल सकी।

माननीय सदस्य ने स्वयं यह कहा है कि यह विभाग बहुत छोटा है और जब यह विभाग इतना छोटा है तो यह जानकारी तीन हफ्ते में मालूम हो जानी चाहिए थी। मैं मानता हूं कि विभाग छोटा है और इस छोटे विभाग को देखते हुए इस में 255 शेड्यूल्ड कास्ट्स और 56 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का होना—मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह काफी है, और ज्यादा नहीं होना चाहिए —लेकिन माननीय सदस्य का यह कहना कि बिल्कुल नहीं के बराबर है, इस को बिल्कुल नहीं के बराबर नहीं कहा जा सकता है ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Let the Minister give a target date. Let the hon. Minister assure the House that on such and such date he will give the answer. The question can be postponed till that date in this session. (*Interruptions*)

SHRI K. LAKKAPPA : Mr. Speaker. Sir, the hon. Minister has himself admitted that he cannot give the complete answer. Therefore, let us not have the discussion today. Let him furnish the complete information.

(*Interruptions*)

श्री शान्तिभूषण : क्लास 2 में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की संख्या 17 है, ट्राइब्स का एक भी नहीं है। यह मैं डिपार्टमेण्ट आफ लीगल अफेअर्स के बारे में बतला रहा हूं।

MR. SPEAKER : Mr. Minister, do you want more time to answer this question?

SHRI SHANTI BHUSHAN : I want another two weeks to answer this question fully.

May I answer the question fully on the last day of this session ?

SHRI VASANT SATHE : He should be ready next Tuesday.

MR. SPEAKER : You can get full information within one week. This question is transferred to next Tuesday.

AN HON. MEMBER : It should be the first question.

MR. SPEAKER : Let it be the first question on next Tuesday.

PROF. P. G. MAVALANKAR : The minister said that this particular question, which got the first position in the ballot for today, had reached the ministry as late as 18th July. We give 21 days' notice so that the minister can get full information. If it reached his ministry only on 18th July, it means only 9 days were left for his ministry to get the information. What has happened to the remaining 11 days? If this sort of thing takes place, we will have many more questions like this where the ministry concerned will not be able to get the full information.

MR. SPEAKER : I will look into it. Next question.

प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक के पदों के लिए हरिजनों का कोटा

*626. श्री राम सागर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए हरिजनों के आरक्षित कोटे को नियमों के अनुसार नहीं भरा गया है; यदि हां, तो इस कोटे को पूरा करने

के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियुक्तियों और पदोन्नतियों के लिए आरक्षित कोटे को भरा जाय, सरकार का एक पृथक् सैल बनाने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से जो मूल उत्तर यहां दिया गया है, उस में अंग्रेजी का अनुवाद करने में थोड़ी सी गलती हो गई है । इसलिए आपकी इजाजत से जो जवाब मैं देना चाहता हूं वह यह है और एक विस्तृत विवरण मैंने दे दिया है । इसलिए इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है :

(क) और (ख). एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

I have already given a big statement, but unfortunately in translating the main body of the answer, a slight mistake was committed. Therefore, the only answer is:

(a) and (b) . A statement is laid on the Table of the House.

विवरण

किसी वर्ष विशेष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे का हिसाब भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के अनुसार लगाया जाता है न कि किसी कोटि में कर्मचारियों की कुल संख्या के अनुसार ।

2. रेलों पर श्रेणी 1 की सेवाओं के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है ।

3. सामान्यतः श्रेणी II की सेवाओं के लिए सीधी भर्ती नहीं की जाती । श्रेणी II की रिक्तियां श्रेणी III के उपयुक्त कर्मचारियों की पदोन्नति करके भरी जाती हैं । किन्तु रेल सुरक्षा दल में सहायक सुरक्षा अधिकारी तथा कुछ छोटे संवर्गों में जैसे सहायक रसायनज्ञ तथा धातु विद्, सहायक केशियर तथा पेस्ट-मास्टर, सहायक अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री आदि के पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है ।

4. जहां तक श्रेणी III के पदों का सम्बन्ध है, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को छोड़कर आमतौर पर इनकी भर्ती रेल सेवा आयोगों के माध्यम से की जाती है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की भर्ती में कमी के मामले में, महाप्रबन्धकों को सीधे भर्ती करने के प्राधिकार हैं ।

5. श्रेणी IV के पदों की भर्ती रेल प्रशासनों द्वारा की जाती है ।

6. पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे को भरने में कमी रही है ।

7. रेलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की भर्ती में कोई परिहार्य कमी न होने पाये, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

(क) आरक्षित रिक्तियों की उपलब्धता के बारे में यथासम्भव व्यापक प्रचार किया जाता है ।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित जो रिक्तियां सामान्य मानक के आधार पर न भरी जा सकी हों, उनके सम्बन्ध में आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग और रेल सेवा

आयोग मानक में छूट दे कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती करते हैं, बशर्ते कि वे उम्मीदवार इस पद/इन पदों में नियुक्त किये जाने के योग्य हों ।

(ग) जब रेल सेवा आयोग अनु० जाति और अनु० जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करने की स्थिति में नहीं होते तो महाप्रबन्धकों को बाहर से अनु० जाति और अनु० जनजाति के उम्मीदवार भर्ती करने की अनुमति है ।

(घ) श्रेणी IV के पदों पर नियुक्ति आमतौर पर रेलों पर काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों की छान-बीन करके की जाती है । यदि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस विधि द्वारा पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, तो बाहर से भर्ती की जाती है ।

(ङ) यदि गैर तकनीकी और तकनीकी-वत श्रेणी III और श्रेणी IV की कोटियों, जिसके लिए भर्ती लिखित परीक्षा के अलावा अन्य प्रकार से की जाती है, में कोटा को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तो असफल उम्मोदवारों में से सब से अच्छे उम्मीदवार को नियुक्त कर लिया जाता है बशर्ते वे निम्नतम निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखते हों ।

(च) सुरक्षा विभाग में उप-निरीक्षक और रक्षकों के पदों पर भर्ती के मामले में ऊचाई और सीने की माप के सम्बन्ध में निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं :—

	ऊंचाई से० मी०	सीना से० मी०
अनुसूचित जाति	160	78
अनुसूचित जन-जाति	150	78
अन्य	167.6	81.3

(छ) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में जहां संरक्षा का पहलू नहीं होता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को निम्नतम अर्हक अकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

(ज) उपर्युक्त रियायतें दिये जाने के बावजूद यदि प्रवरण पदों को भरने के लिए आवश्यक संख्या में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, तो उनमें से सब से अच्छे उम्मीदवार अर्थात् जो सबसे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, को उनके हक में आरक्षित रिक्तियों की सीमा तक अनन्तिम रूप से प्रवरण पैनल पर रखा जाता है । इस प्रकार छांटे गये उम्मीदवारों को 6 महीने के लिए तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया जाता है और इस अवधि के दौरान उन्हें अपना ज्ञान बढ़ाने और अपेक्षित स्तर तक पहुंचने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । छः महीने की अवधि के अन्त में इन उम्मीदवारों के कार्य के बारे में महाप्रबन्धक द्वारा एक विशेष रिपोर्ट मांगी जाती

है और उनके नाम अन्तिम रूप से सलैक्शन पैनल में सम्मिलित कर लिए जाते हैं बशर्ते कि वे उनके कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में संतुष्ट हों ।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए सलैक्शन से पहले की कोचिंग क्लासें लगाने के लिए रेलवे को अनुदेश भी दिए गए हैं ताकि पदोन्नति परीक्षाओं में असफल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम हो सके ।

8. सम्भावित सीमा तक भर्ती और पदोन्नति कोटियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की कमी को पूरा करने के लिए नवम्बर, 1975 में एक विशेष अभियान चलाया गया था । यह अभियान 31-3-76 तक जारी रहा । इस अवधि के दौरान रेलें श्रेणी III में अनुसूचित जाति के 1612 और अनुसूचित जन-जाति के 1114 तथा श्रेणी IV में अनुसूचित जाति के 2703 और अनुसूचित जन-जाति के 2836 उम्मीदवारों की भर्ती कर पायी हैं । श्रेणी III में अनुसूचित जाति के 3513 और अनुसूचित जन-जाति के 2827 तथा श्रेणी IV में अनुसूचित जाति के 1174 तथा अनुसूचित जन-जाति के 1477 व्यक्तियों की पदोन्नतियां की गयीं । विशेष अभियान के अन्त में, 1-4-76 की जो कमी रह गई थी, वह नीचे दी गई है :—

	श्रेणी III		श्रेणी IV	
	अनु० जाति	अनु० जन०जा०	अनु०जा०	अनु०जन० जाति
भर्ती की कोटियां	519	721	308	1101
पदोन्नति की कोटियां	2239	3472	440	1086

9. इस कमी को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

10. रेलवे बोर्ड के स्तर पर एवं रेलों में मुख्यालयों के स्तर पर पृथक्-पृथक् कक्ष पहले से ही कार्य कर रहे हैं, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की भर्ती में रह गई कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में हुई प्रगति पर निगाह रखी जा सके ।

श्री छविराम अगल : जब कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछते हैं तो जवाब बदलने वाली बात होती है । यहां पर पूरा जवाब आना चाहिए ।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि मैंने 4 पन्नों में सारे डिटेल्स दे दिए हैं । इस के अलावा जो और प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी मैं डिटेल्स देने वाला हूं ।

श्री राम सागर : मंत्री जी ने अभी बताया है कि पूरे डिटेल्स इन्होंने दे दिए हैं लेकिन यह जो सूचना दी गई है कि कोटे को पूरा करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी रहती हैं, मैं माननीय मंत्री जी को यह सूचना देना चाहता हूं और लोक सभा के माननीय सदस्यों को पता भी है कि लाखों लाखों की संख्या में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्स के ग्रेजुएटस और पोस्ट-

ग्रेजुएट्स आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसलिए डिपार्टमेंट का यह कहना कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते, यह हम को आश्चर्य में डालने वाली बात लगती है। मैं 'माननीय मंत्री जी को यह सूचना देना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय में जो भी अधिकारी हैं वे हरिजनों के रिजर्वेशन के कोटे को पूरा नहीं करना चाहते हैं और उन की जगह पर अपने भाई भतीजों और रिश्तेदारों को भरना चाहते हैं। 30 साल से बराबर इस प्रकार की बात चली आ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वे रिजर्वेशन के कोटे को सही ढंग से पूरा करना चाहते हैं, और हरिजनों के प्रति उन के मन में हमदर्दी है, यह मैं जानता हूं, तो उस कोटे को पूरा करने के लिए प्रत्येक श्रेणी की अलग से उन के लिए मांग निकलवाएं और कोटे को पूरा करने का प्रयास करें ?

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं विस्तृत रूप से इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 4 पन्ने का एक विस्तृत निवेदन मैंने किया है और जो भावना माननीय सदस्य ने व्यक्त की है, उसी के अनुसार शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा निश्चित होता है। लेकिन यह होने के बाद कई विशेष पोस्ट्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वह रखने वाले शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड-ट्राइब्स के ऐप्लीकेंट्स नहीं आते हैं फिर भी हमने स्पष्ट यह आदेश दिया है कि कोटा पूरा करना बहुत आवश्यक हैं सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स को समान अवसर देने से यह सवाल हल होने वाला नहीं है, उनको विशेष अवसर देना आवश्यक है। इसलिए मेरे लिखित इंस्ट्रक्शन्स गए हैं कि जिन वेकेन्सीज़ को फिलअप करने के समय अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों की तरफ़ से, एक सेफ्टी की पोस्ट छोड़कर, दूसरी जो पोस्ट्स हैं क्लेरिकल और क्लास चार और क्लास तीन की पोस्ट्स हैं उन सब के लिए अगर कोई ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडीडेट्स आते हैं उनकी शायद क्वालिफिकेशन थोड़ी कम भी हो तो जो लोग इस ऐग्ज़ामिनेशन में या जांच में फेल होते हैं उनमें सब से जो अच्छे हैं उनको पिकअप कर के वह वेकेन्सीज़ फिलअप की जायें। यह स्पष्ट आदेश मैंने दिया है। क्योंकि मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग आते हैं वह एक अलग सांस्कृतिक वातावरण में हजारों साल तक रहे हैं, उनके घर में अध्ययन की सुविधा नहीं है, उनके पास निवास स्थान की सुविधा नहीं है, इसलिए अन्य वर्गों के स्तर पर आने के लिए भी उनको समय लगेगा। इसलिए जैसे खेल के विभाग में हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स होते हैं इसी तरह से समाज के अन्दर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए भी हैंडीकैप्ड सोशल रेस होनी चाहिए, यह हमने तय किया है।

और भी मैंने कई आंकड़े इकट्ठे किए हैं जो मैं सदन को बताना चाहता हूं। हम लोगों के इंस्ट्रक्शन्स यह हैं कि जितने शौर्टफ़ाल्स हैं उनको फिल अप करने की कोशिश करें। एक मर्तबा एक स्पेशल कैम्पेन की गई जिसका नतीजा मैं बताना चाहता हूं। क्लास 3 में 2165 वेकेन्सीज़ के शौर्टफ़ाल्स थे और क्वालिफिकेशन वेव करके, लिबरेलाइज़ कर के 1,656 लोग रखे गये हैं जो 76 परसेंट बैठता हैं। इस तरह से वेकेन्सीज़ फिल अप की गई हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में शौर्टफ़ाल 1,805 लिबरेलाइज़ करने के बाद 1,084। अर्थात् 60 परसेंट हो गया। क्लास 4 में 5,593 में से 5,290 फिलअप की गई। 94 परसेंट शौर्टफ़ाल्स कमप्लीट किए गए हैं शैड्यूल्ड ट्राइब्स 7,095 .. (**व्यवधान**) ....

शौर्टफ़ाल्स जब कैलकुलेट किये जाते हैं वह एक साल के नहीं होते, क्युमूलेटिव लेने

पड़ते है, और यही प्रोसेस हमने जारी रखी है। और आगे चल कर मैं बताना चाहता हूं कि अभी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन्स यह है कि और एक स्पेशल कैम्पेन इस तरह की की जायें और रूल्स लिबरेलाइज़ करें। तीन बातें मैं सदन को बताना चाहता हूं। रेलवे सर्विस कमीशन के सामने अगर शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जाते है और जांच और ऐग्ज़ामिनेशन्स में नहीं सफल होते तो हमने जनरल मैनेजर्स को स्पेशल राइट्स दिये है कि रेलवे सर्विस कमीशन के जरिए अगर कोटा फिलअप नहीं होता है तो दूसरे वर्णों के लिए तो रेलवे सर्विस कमीशन के बाहर एपोइंटमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का बेकेन्सी का कोटा अगर अनफुलफिल्ड रहे तो जनरल मैनेजर को कहा गया है कि इस कोटा को फुलफिल करने की कोशिश करें और हमारी टेबिल पर रिपोर्ट रखें कि इसको फुलफिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। मैंने हर महीने रिपोर्ट मंगवाई है।

जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल है वहां तो हमारे हाथ में बात नहीं है, लेकिन मेरी मालूमात यह है कि जो स्टैण्डर्ड दूसरों के लिए रखे जाते है वह लिबरेलाइज़ करके शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रखे गये है जहां तक क्लास 4 का सवाल है स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से सब शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिये जाते है। लेकिन हमारे स्पेशल इंस्ट्रक्शन्स यह है कि अगर सब्स्टीट्यूट और कैजुअल लेबर के जरिए दूसरे लोगों को लिया जायगा लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यह शर्त नहीं रहेगी डायरेक्ट ओपिन मार्केट से भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को ले सकते हैं और कोटा फूलफिल करने के काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह कलीयर इंस्ट्रक्शन्स अधिकारियों को दिये गये हैं।

श्री राम सागर : प्रश्न का दूसरा खण्ड रिजर्वेशन्स और प्रमोशन्स के सम्बन्ध में है। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग नियुक्त किये जाते है, चाहे जिस कैटेगरी में वे हों, उनका कायदे से प्रमोशन नहीं होता है। सीबियर मोस्ट शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग अपनी जगह पर पड़े हुए है, जब कि जूनियर पोस्ट शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को प्रमोशन दे दिया जाता हैं। इसमें भी उनके प्रति बड़ा अन्याय हुआ है। मझे बताया गया है कि 1973 में इस सदन में तत्कालीन रेलवे मंत्री श्री मिश्र ने वक्तव्य दिया था कि रेलवे प्रशासन में हरिजनों के हितों की सुरक्षा को देखते हुए उनकी नियुक्ति और प्रमोशन के लिए एक अलग सैल कायम किया जायेगा। वह सैल अब हो भी गया है, लेकिन जो सैल कायम किया गया है वह भी निष्क्रिय है और शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की रिजर्वेशन और प्रमोशन के काम को कायदे से देख नहीं पाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह सैल स्वयं इस काम को देखने के लिए सक्षम नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस रिज़र्वेशन और प्रमोशन का काम कायदे से हो रहा है या नहीं, और यह सैल कायदे से काम कर रहा है या नहीं, इसकी सही जानकारी करने के लिए क्या वह एक संसदीय इन्क्वायरी कमेटी गठित करने की कृपा करेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : जब किसी काम में देरी करने की आवश्यकता होती है, तब कमेटी मुकर्रर की जाती है, ऐसा हमारा अनुभव है। इसलिए हम चाहते है कि इस काम की जांच के लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। मैं खुद सुपरविज़न कर के देखूंगा कि काम ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि मार्च, 1977 के महीने तक जो फिगर्स

हमारे पास आये हैं, उनसे यह पता लगता है कि—

क्लास—3 के प्रमोशन में भी शार्टफाल 7914 हैं और वैकेन्सीज फिल्ड-अप 5675 हैं और 71.7 परसेंट कंप्लीशन है।

शैड्यूल्ड ट्राइब्स में शार्टफाल 5136, वैकेन्सीज फिल्ड-अप 1664 और कंप्लीशन 32 परसेंट है।

क्लास—4 में शार्टफाल 3923 वैकेन्सीज फिल्ड-अप 3483 और कंप्लीशन 88 परसेंट।

इसी तरह से शैड्यूल्ड ट्राइब्स में शार्टफाल 2182, वेकेन्सीज फिल्ड-अप 1096 और कम्पलीशन 50 परसेंट।

मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं 90 परसेंट से भी खुश नहीं हूं। मेरी कोशिश यह होगी कि उसे 100 परसेंट पूरा करूं :

SHRI B. RACHAIAH : Reservation for the Scheduled Castes and Tribes is not a new innovation. It has been there from the beginning. The backlog was there because of the negligence of the bureaucrats and their hatred towards the Scheduled Castes and Tribes. Because of that, the Parliamentary Committee on Scheduled Castes and Scheduled Tribes made a recommendation for the setting up of a Special cell to ensure that reservation has been strictly enforced by the authorities on all categories. I want to know from the Minister whether this special cell has been created in the Ministry and whether a member belonging to the Scheduled Castes and Tribe has been included in the committee at all levels to watch the progress.

PROF. MADHU DANDAVATE : As far as the first part of the question is concerned, I wish to make it clear that if we are not able to implement the policy regarding Scheduled Castes and Tribes, I would not like to throw the responsibility merely on the bureaucrats. I think this is the cheapest thing that a Minister can do. I will not throw the responsibility on the Bureaucrats. After all, the Minister has to head the Ministry. He has to share both the success as well as the failure of the policies. Therefore, it shall be my constant endeavour not to throw the blame on the bureaucracy, but by intervention and supervision I shall see that this policy regarding the scheduled castes and scheduled tribes is effectively implemented.

As regards the second part of the question, the statement which I have already placed on the Table of the House makes a clear-cut reference to the cell which we have created. We have also associated scheduled caste staff members with the cell, and we shall see to it that those who have a sense of participation will effectively implement this, and, as the Minister incharge, it will be my constant endeavour to see that the official policies of the Government are implemented effectively.

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कैंडीडेट्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन्ज रखी गई हैं। यह देखा जाता है कि उन लोगों को टेम्पोरेरी या कैजुअल लेबरर के रूप में रखा जाता है और उन्हें स्थायी नहीं किया जाता है। इसके अलावा सालों तक काम करने के बाद भी उन्हें प्रोमोशन नहीं मिलता है। कल जब मैं लखनऊ से लौट रहा था, तो रास्ते में मुझे एक ऐसा केस बताया गया। मैं चाहता हूं कि यह सरकार पिछली सरकार की "हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और" की नीति की नकल न करे। जब तक रेलवे बोर्ड को एवालिश नहीं किया जायेगा, तब तक काम ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा।

प्रो० मधु दंडवते : माननीय सदस्य ने कहा है कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दूसरे होते हैं। मैं तो इन्सान हूं; मेरे तो एक प्रकार के ही दांत है। जहां तक क्वालिफिकेशन्ज का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने अपने पहले उत्तर में कहा है, हर क्लास के लिए क्वालिफिकेशन्ज निर्धारित हैं, लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के मित्रों के लिए हम उन क्वालिफिकेशन्ज को लिबर ाईज, कर देते हैं। इसमें केवल एक ही अपवाद है : सेफ्टी, जैसे ब्रिज के मैटीरियल की सेफ्टी, और रिसर्च वर्क

सम्बन्धी पोस्ट्स के लिये वे क्वालिफिकेशन्ज़ लव नहीं की जायेंगी । लेकिन अन्य क्षेत्रों में हम क्वालिफिकेशन्ज़ को लिब लाइज़ करके शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ को ज्यादा मौका देंगे । यह हमारी आम पालिसी रहेगी और हम उस पर अमल करेंगे । कैजुअल लेबर के बारे में मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

श्री राम कंवार बेरवा : हम, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के मेम्बरों, के पास इन वर्गों के पांच दस पढ़े-लिखे लोग रोज़ आते है। वे अनेक डिपार्टमेंटों में एग्ज़ामिनेशन दे कर हताश हो चुके हैं । क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि जो भी वैकेन्सीज़ निकलें, उस की सूचना शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के पार्लियामेंट के मेम्बरों को भी दी जाये, ताकि हम उन लोगों को वहां भेज सकें ?

प्रो० मधु दंडवते : हम यह प्रयत्न करते है कि सब वेकेन्सीज के बारे में काफी पब्लिसिटी दी जाये, लेकिन अगर संसद-सदस्य चाहते हैं कि वेकैन्सीज को लिस्ट उन्हें भी भेजी जाये, तो हम इस पर भी विचार करेंगे ।

SHRI HITENDRA DESAI : From all the long replies we have not been able to satisfy ourselves as to what exactly is the percentage of recruitment in Classes I, II, III and IV. He referred to a drive in November, 1975 and another in July, 1976. would like to know whether there has been any drive thereafter.

PROF. MADHU DANDAVATE : The hon. Member should remember that when I referred to the absolute figures, I have also mentioned the percentage. There is a misnomer that the seats that are reserved are on the basis of total number of seats. But they are on the basis of total number of vacancies that are created and to be filled from year to year. Therefore, the figures and percentage that I have quoted were in terms of the shortfall that was there on the number of vacancies that were created and filled. I did not give the percentage for Class I and Class II, which is as follows :

	Year	Quota reserved	Persons recruited
Class I (SC)	1974	17	14
	1975	90	78
	1976	31	18
Class I (ST)	1974	17	2
	1975	69	16
	1976	22	—

As far as Class II is concerned, it is nil in 1974 and 1975.

Class II (SC)	1976	36	36
Class II (ST)	1976	7	7

MR. SPEAKER : This seems to be an important question. I will examine whether some other time can be given to this question. Now, I will not allow further supplementaries on this.

Chairman of India Tobacco Company

*627. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state

(a) whether it is a fact that Shri A. N. Haksar, Chairman, India Tobacco Company Limited, Calcutta (previously Imperial Tobacco Co. Ltd.) sought retirement from Chairmanship of the Company and later got himself re-employed for a period of five years;

(b) if so, whether Government's approval in terms of the Companies Act was obtained to his re-employment as Chairman ;

(c) the salary and other perquisities sanctioned by Government and the total amount of retirement benefits he withdrew from the Company; and

(d) the names of other Directors of the Company, if any, who have been similarly re-employed by the Company and their remuneration?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS. (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The salary and perquisites sanctioned by the Government are given in the statement attached.

Shri Haksar was not entitled to Gratuity and Provident Fund but he received retirement benefits, as per the Rules of the Pension Fund, amounting to Rs. 3,82,831/- by way of commutation of his pension and a pension, after commutation, of Rs. 4,493/- per month.